



502/11

दूरभाष - 2266709

2266710

नव बताना केंद्र 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 3971/05/76/एक/2015-16

दिनांक : 28 जनवरी 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-औरैया।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा डूडा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सेन्दुल बैंक आफ इण्डिया	3300918268	IFSC Code CBIN0281879	94.006

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के सपेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण				
			वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि
औरैया/विधूना	अनु० 37 पीएलए	600/564	78.132	8.350	86.482	0.000	86.482
औरैया/डिवियापुर	अनु० 37बजट	72	7.214	0.310	7.524	0.000	7.524
	योग		85.346	8.660	94.006	0.000	94.006

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएचएसडीपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा। उक्त परियोजना प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है तदोपरान्त भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व डूडा द्वारा एम०ओ०यू० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- 2- मार्च 2017 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- 4- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।

W



502/2

दुरमाप- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर डूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट अभिकरण मुख्यालय को डूडा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यू0एल0बी0) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

(Signature)

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परि० प्रबन्धक, यू०पी०आर०एन०एन०, डूडा इकाई-सम्बन्धित जनपद।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

(Signature)